Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 67-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 11, 2023 (CHAITRA 21, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2023

संख्या 2/1/2008–1 पर्या.— जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 6), की धारा 12 की उपधारा (3) तथा (3क) तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 14), की धारा 14 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. ये विनियम हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023 कहे जा सकते है।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ग्रुप क, ख, ग तथा घ) सेवा विनियम, 2021 में, परिशिष्ट–ख में, ग्रुप–ख शीर्षक के नीचे, क्रम संख्या 12 के सामने, खाना संख्या 3 के नीचे ''सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो'' शीर्षक में, '' पूर्णकालिक नियमित'' शब्दों के बाद ''स्नातक'' शब्द रखा जाएगा।

पी० राघवेन्द्रा रॉव,
चेयरमैन,
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।